न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 43/2015

वादी

1. श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट)
जरिये श्री अमरीशकुमार शर्मा
मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन)
पुत्र श्री प्रेमनारायण शर्मा
जाति–ब्राह्मण उम्र 53 वर्ष
निवासी हाल मैनेजर श्री
सीमेन्ट लि0 रास,
तहसील–जैतारण जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मेता पुत्र भेरा
2. अफसाना पुत्री नेना ना.बा.वली मेता बडा पिता कायम मुकाम नैना पुत्र भेरा जातियान मेहरात निवासीगण भीवगढ़ तहसील जैतारण जिला पाली राज0।
3. हमीदा बेवा हेमा,
4. घीसा पुत्र बन्ना,
5. रोशन पुत्र बन्ना
6. (देवी पुत्र रूपा दरियाव व भंवरू पि.रूपा फोत कायम)
   7/1 सोहनी बेवा देवी
   7/2 साबू पुत्र देवी
   7/3 मुकेश पुत्र देवी
7. हाकम पुत्र मकबुल(दरियाव व भंवरू पि.रूपा फौत के कायम)
8. आपूदेवी पत्नि धूकल
9. प्रेमसिंह पुत्र धूकल
10. शक्तिसिंह पुत्र धूकल
11. अंजली पुत्री नेनसिंह ना.बालिग वलिया माता अनिता नाते बटीसिंह
12. बलवीरसिंह पुत्र बंटीसिंह नाबालिग जरिये कुदरति वलि पिता बटीसिंह
13. युवराजसिंह पुत्र बटीसिंह नाबालिंग जरिये कुदरति वली पिता बंटीसिंह
14. अनिता पत्नि बटीसिंह
15. लक्ष्मी पुत्री धूकल
16. सुमित्रा पुत्रि धूकल
17. रूकमा बेवा सुल्तान
18. विजयसिह पुत्र सुल्तान
19. शंकरसिंह पूत्र सुल्तान
20. लीला पुत्री सुल्तान
21. मीरा बेवा दल्ला
22. जयसिंह पुत्र दल्ला
23. इन्द्रसिंह पुत्र दल्ला
24. सुरेन्द्रसिंह पुत्र दल्ला
25. बसन्ती पुत्री दल्ला
26. सन्ना पुत्री दल्ला
27. मन्ना पुत्री दल्ला
28. हमीदा बेवा सुबान

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

29.हरि पुत्र सुबान

30.नन्दू पुत्र सुबान

31.नरसिंह पुत्र सुबान

32.कंचन पुत्री सुबान

33.गीता पुत्री सुबान

34.कुली पुत्री सुबान जातियान मेहरात निवारी भीवगढ तहसील जैतारण जिला पाली

35.मेहन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल कौम भांबी निवासी-भीवगढ तहसील जैतारण

36.सुगरी बेवा हेमा

37.बलदेव पुत्र हेमा

38.प्रेम पुत्री हेमा

39.कंचन पुत्री हेमा

40.लक्ष्मी पुत्री हेमा

41.नारायण पुत्र सवाई

42.मतिया देवी पुत्री आसिया

43.सुरेश पुत्र शंकर

44.नेनी पत्नि मिसरू

45.राजूराम पुत्र मिसरू

46.गणपत पुत्र मिसरू

47.पारस पुत्र मिसरू

48.मंजू पुत्री मिसरू समस्त जाति मेहरात गाव भीवगढ जैतारण जिला पाली

49.कविन्द्रसिंह पुत्र रतनलाल कौम कोली निवासी 8ए श्री कृशणा कॉलोनी गणेशपुरा रोड.ब्यावर

50.नैना पुत्र गणेश

51.काना पुत्र भंवरिया उर्फ भंवरू

52.मदन पुत्र भंवरिया उर्फ भंवरू

53.सोवनी बेवा भंवरिया उर्फ भंवरू

54.भंवरू पुत्र मंगला समस्त जाति भांबी गाव-भीवगढ तहसील जैतारण जिला पाली

55.माणकचंद पुत्र पोकरराम मेघवाल साकिन प्लाट न. 84 गोपालनगर मसुदा रोड.ब्यावार

56.लक्ष्मण पुत्र उंकार

57.घासी पुत्र उंकार

58.बनवारी लाल पुत्र रतनलाल कौम नायक निवासी कोहीनूर मार्बल के पीछे गणेश कॉलोनी देलवाडा रोड. ब्यावर

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

59. चम्पालाल पुत्र गुलाराम कौम मेघवाल साकिन बाडसर तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली राज.

60. महावीर प्रसाद पुत्र गौरीशंकर जाति–कोली निवासी षिवकॉलोनी अजमेर।

61. अरविन्द कुमार पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति–रेगर निवासी ब्यावर जिला अजमेर राज.

62. डालचन्द पुत्र छीतरमल जाति भांबी निवासी 2/28 गडडी थोरियान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर।

63. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज0

दावा बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः.26/05/2014**

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री मेवराज कुमावत, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 18/02/2019**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् सकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि श्री सीमेंट लि0 ब्यावर का एक सीमेंट प्लांट बांगड सीमेंट के नाम से सरहद मौजा रास तहसील जैतारण में स्थापित है कार्यरति है व उत्पादनरत है उक्त श्री सीमेंट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम,1956 के तहत एक लि0 कम्पनी के रुप में पंजीबद्ध है इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रषासनिक कार्यो के लिए बतौर मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) श्री अमरीश कुमार नियुक्त व कार्यरति है कम्पनी के द्वारा कृषि भूमि के लिए बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद के साथ पेश है, जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा भीवगढ़ पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 2160 रकबा 8–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि वाके है उक्त खसरे की भूमि में वादी कम्पनी 847/2880 यानि 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर रिकोर्डेड काबिज खातेदार काष्तकार है व प्रतिवादी सं. एक से बासठ उक्त भूमि के रिकोर्डेड सह–खातेदार काष्तकार है वादी कम्पनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग–अलग बंटी हुई है हिस्सानुसार सभी का कब्जा काश्त है व वादी खसरा नम्बर 2160 रकबा 08–10 बीघा भूमि में 847/2880 वां हिस्से की भूमि(2 बीघा 10 बिस्वा) भूमि मौके पर बंटी हुई है व वादी का अपने हिस्से पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्षा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग–अलग तरमीम की हुई नहीं है तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा, कि सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है जिसे वाद का

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

एक भाग माना जावे। वादी कम्पनी की वादग्रस्त कृषि भूमि वादी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 847/2880 हिस्से की भूमि यानि 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि मौके पर बंटी हुई है वादी का अलग से कब्जा व काश्त है व वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काष्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकास्मा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहा, मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 08.03.2015 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है वादी कम्पनी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा बाबत् तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादी कम्पनी अपनी खातेदारी कब्जे काष्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग-उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलांदाजी बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेष है। प्रतिवादी संख्या 63 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है व तकास्मा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रुप से नहीं जानती है इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिग या फौत होने की दिशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिये संशोधन करने का अधिकार रहेगा। बिनाय दावा दिनांक 08.03.2015 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवगढ़ (रास) में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 30, 38, 41, 42 से 46, 48 से 56, 59, 64 से 67, 69 से 72, 91, 93 एवं 37, 39, 40, 57, 58, 60 से 63, 68, 73 से 90, 92 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 42 व 47 के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करने का समय चाहा, तथा प्रतिवादी संख्या 92 का तलबी का तलबाना पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। प्रति0 संख्या 42 व 47 के फौत हो जाने से प्रति0 संख्या 42 व 47 के उनके उत्तराधिकारी रेकर्ड पर होने से उक्त प्रति0 संख्या 42 व 47 का नाम हटाया जाता हैं। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र 022 नियम 4 R/W 151 CPC, 01 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी एवं 06 नियम 17 R/W 151 CPC का पेश किया, जिसे बाद स्वीकार सा0मि0 किया गया। वकील वादी ने संशोधित वादपत्र पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। प्रतिवादी सं. 60 से 62 की ओर से वकील मेवराज कुमावत ने वकालतनामा पेश किया सा.मि.किया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वकील प्रतिवादीगण 60 से 62 ने माफिक राजस्व रेकर्ड उक्त वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने की सहमति दी। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 06 नियम 17 सहपठित धारा 151 सीपीसी व संशोधित वादपत्र पेश किये, बाद स्वीकार सा0मि0 किये गये। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया, सा. मि. किया गया। बहस वकील वादी की सुनी गई। बहस में वकील वादी ने जाहिर किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड वादी का प्राथमिक डिक्री फरमावें।

पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि प्रति. के विरूद्ध एक एकपक्षीय कार्यवाही हों चुकी हैं। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात एवं साक्ष्य के शपथ पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, अपनी आराजी का तकासमा चाहते हैं। लिहाजा माफिक राजस्व रेकर्ड वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा भीवगढ़ पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 2160 रकबा 8-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/148 दिनांक 12/02/2019 द्वारा आदेशित किया गया।

तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/1116 दिनांक 18/02/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा फर्द पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर हैं। वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–::आदेश::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा भीवगढ़ पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 2160 रकबा 8-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मेता पुत्र भेरा अफसाना नाबा. पुत्री नेना नाबा. का वली मेता पुत्र भेरा बिदामी पत्नी भेरू रामा पुत्र मेन्दु हमीदा पत्नी हेमा घीसा पुत्र बना रोशन/बना भोजा पुत्र हेमा सोहनी पत्नी देवी साबु मुकेश पिता देवी हाकम पुत्र मकबूल माला पुत्र कालु गोपालसिंह पुत्र डूंगा प्रेमसिंह शक्तिसिंह पिता धूकल अंजली नाबा. पुत्री नैनसिंह अनिता पत्नी नैनसिंह खुशवीर ना.बा. युवराज ना.बा. पिता पिन्टुसिंह अनिता पत्नी पिन्टूसिंह ना.बा. की वली माता अनिता विजयसिंह शंकरसिंह पिता सुल्तानसिंह रुकमा पत्नी सुल्तानसिंह जयसिंह इन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता दला मीरा पत्नी दला हरी अजीत सिकन्दर ना.बा. पिता सुबान हमीदा पत्नी सुबान मुमताज गीता मंजू पुत्रियां सुबान ना.बा. की वली माता हमीदा कौम मेहरात महेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल सुगरी पत्नी हेमा बलदेव पुत्र हेमा प्रेम कंचन लक्ष्मी पुत्रियां हेमा प्रभु पुत्र मूला नारायण पुत्र सवाई मतूदेवी पत्नी आसू नेनी पत्नी मिसरू राजूराम गणपत पारस पिता मिसरू मंजु पुत्री मिसरू सुरेश पुत्र शंकर नैना पुत्र गणेश मदन काना पिता भंवरू सोहनी पत्नी भंवरू भंवरू पुत्र मंगला लक्ष्मण घासी पिता ऊंकार देवा पूना पिता पीरू कौम मेघवाल सा.देह बनवारीलाल पुत्र रतनलाल कौम नायक सा.देह सा. कोहिनूर मार्बल के पीछे गणेश	2160 2160/2	3-15-00 2-05-00	बा.अ. बा.अ.	1.88 1.12

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

	कॉलोनी देलवाडा रोड़ ब्यावर महावीर प्रसाद पुत्र गौरीशंकर जाति कोली सा. शिव कॉलोनी अजमेर अरविन्द कुमार पुत्र चांदमल कौम रेगर सा. ब्यावर डालचंद पुत्र छीतरमल कौम भांबी सा. 2/28 गड्डी थोरियान राज. हाउ. बोर्ड ब्यावर चम्पालाल पुत्र गुलाराम मेघवाल सा. बाडसर मा.ज. कविन्द्रसिंह पुत्र रतनलाल कौम कोली सा. 8ए श्री कृष्णा कॉलोनी गणेशपुरा रोड ब्यावर माणकचंद पुत्र पोकरराम मेघवाल सा. प्लॉट न. 84 गोपालनगर मसूदा रोड ब्यावर खातेदार				
2	मैसर्स श्रीसीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर श्रीसीमेंट लि. रास खातेदार	2160/1	2-10-00	बा.अ.	1.25

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/02/2019 को सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)